संख्याः 2072 / VII-2-08 / 161–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः २२ मई, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या PMRY/FT/R/2007(1) दिनांक 04.02.2008 के क्रम में आपके पत्र संख्या 4622 / उ0नि0 / दो / 03 / पी0एम0 आर0वाई0 / 2007–08 दिनांक 20 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100% के0स0) हेतु रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही की जायेगी तथा विस्तृत व्यय विवरण व्यय के अनुरूप राज्य सरकार / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी यथासमय भारत सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर वी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी / मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड

शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2009 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत गत वर्ष लाभर्थियों की सूची एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण भी राज्य सरकार/भारत सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

7– व्यय मात्र उन्हीं कार्यों/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 02–प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100%के0स0), 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 95/XXVII(2)/2008 दिनांक 19 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2072 (1)/VII-2-08/161–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (वजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

BUDGET G.O.2008/PLAN/-52